"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174-अ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 जुलाई 2012—आषाढ़ 21, शक 1934

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-353/गृह/2007.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 11-353/गृह/2007, दिनांक 18 मार्च, 2009 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

1. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ - सभापति
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल) - सदस्य
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) - सदस्य
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) - सदस्य
5. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक (आपराधिक अन्वेषण विभाग) - सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 11-353/गृह/2007.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 12 जुलाई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 12th July 2012

NOTIFICATION

No. F 11-353/Home/2007.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007) and in supersession of this Department's Notification No. F. 11-353/Home/2007, dated 18 March, 2009, the State Government, hereby, constitutes Police Establishment Board consisting of :—

1.	Director General of police, Chhattisgarh	-	Chairman
2.	Additional Director General of police/Inspector General of police (Chhattisgarh Armed Force)	-	Member
3.	Additional Director General of police/Inspector General of Police (Intelligence)	-	Member
4.	Additional Director General of police/Inspector General of police (Administration)	-	Member
5.	Inspector General of police/Deputy Inspector General of Police (Criminal Investigation Department)	-	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.